न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

**राजस्व अपील संख्या 13/2014**

**अपीलांट**
श्रीमती देवी पुत्री स्व.
भीयाराम
पत्नी भंवरलाल निवासी
गांव लूखु वाया धोरीमना
तहसील धोरीमना
पीहर का पता गांव बाटाडू
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

**रेस्पोडेंटस**
1. खेताराम पुत्र स्व. भीयाराम
2. नरेन्द्र पुत्र स्व. मोहनलाल
3. बजरंग पुत्र स्व. मोहनलाल
   पौत्र स्व. भीयाराम
   जाति गौड ब्राहमण निवासी
   बाटाडू तहसील बायतु
4. श्रीमती मांगी पुत्री स्व.
   मोहनलाल पौत्री स्व.
   भीयाराम पत्नी भागीरथ
   निवासी बाड़मेर पीहर का
   पता गांव बाटाडू तहसील
   बायतु
5. श्रीमती कमला पुत्री स्व.
   मोहनलाल पौत्री स्व.
   भीयाराम पत्नी ताराचन्द
   निवासी गोटी नासिक
   महाराष्ट्र पीहर का पता
   गांव बाटाडू तहसील बायतु
6. तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 25.8.1998 जो तहसीलदार बायतु द्वारा मौजा चैनाणियो की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 33 पर पारित किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थित– 1. श्री जसवन्त बोहरा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 एक तरफा।

निर्णय

दिनांक 26.4.2017

1. अपीलांट ने यह अपील मौजा नया चैनाणियो की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 33 पर तहसीलदार बायतु द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.8.1998 के विरूद्व धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 भीयाराम के पुत्र, पौत्र एवं पौत्रीया है। स्व. भीयाराम के दो पुत्र खेताराम व मोहनलाल है एवं एक पुत्री अपीलांट स्वयं है। भीयाराम की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त भूमि खसरा नंबर 443 रकबा 108 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारोनी मौजा चैनाणियो की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली में आई हुई है। जिसमें से अपीलान्ट के पिता भीयाराम पुत्र राजूराम का 1/4 हिस्सा है। अपीलांट के पिता भीयाराम का दिनांक 23.6.1996 को देहान्त होने पर पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त भूमि जिसमें स्व. भीयाराम के हिस्से की भूमि शामिल है, का नामान्तरकरण संख्या 33 भर कर तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया। तहसीलदार बायतु ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 25.8.98 को स्वीकृत किया। इस आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंटस को सम्मन जारी किये। अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 बावजूद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेंटस संख्या 06 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

4. हमने दोनों पक्षो को सुना। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि भीयाराम अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता है एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के दादा है। भीयाराम का दिनांक 23.6.1996 को देहान्त हो जाने के फलस्वरूप स्पोडेंट संख्या 1 से 5 के साथ–साथ उनकी पुत्री होने के नाते अपीलांट भी विधिक उत्तराधिकारी थी परन्तु जानबूझ कर अपीलांट को उसके कानूनी हक से वंचित करने की नियत से विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना तहसीलदार बायतु द्वारा नामान्तरकरण संख्या 33 स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन रिकार्ड एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा मौजा चैनाणियो की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 33 स्वीकृत दिनांक 25.8.1998 के विरूद्व

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि मौजा चैनाणियो की ढाणी के खसरा नंबर 443 रकबा 108 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्व. भीयाराम की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अपीलांट स्व. भीयाराम की पुत्री है एवं भीयाराम की भूमि में कानूनन अपीलांट का हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं कर अपीलांट का नाम नामान्तरकरण संख्या 33 में दर्ज नहीं कर उसे उसके विधिक हक से वंचित रखा गया जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने एवं विधिनुकूल नहीं होने से निरस्त योग्य है।

6. अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 25.08.1998 निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार बायतु को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता हैं कि मृतक भीयाराम के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर, रेकर्ड पर साक्ष्य सबूत लेकर मामले में नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने की नियमानुसार कार्यवाही करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26.4.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)